लोक उत्सव के रूप में मनाई जाएगी नंदा राजजात यात्रा: सीएम धामी

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। 2026 में प्रस्तावित नंदा राजजात यात्रा को लोक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्थानीय लोगों की यात्रा में अधिकतम सहभागिता हो और सरकार सहयोगी की भूमिका में रहे। नन्दा देवी राजजात यात्रा से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा। यात्रा के अभिलेखों को लिखने एवं उनका संरक्षण गढ़वाल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय की मदद से किया जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नन्दा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड की धरोहर है। उन्होंने अधिकारियों को नन्दा देवी राजजात यात्रा का देश

विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। भारतीय दूतावासों के माध्यम से भी संपूर्ण विश्व में नन्दा देवी राजजात यात्रा को पहुंचाया जाएगा, साथ ही उन्हें इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इस यात्रा के माध्यम से विदेशों से भी उत्तराखंड को जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक रूप देना है। उन्होंने कहा कि राजजात यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा, वाद्य यंत्रों की छाप दिखनी चाहिए। इसके लिए संस्कृति विभाग को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग लोक कलाकारों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जिससे उनको लगातार भुगतान हो।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव को भी कार्ययोजना में शामिल करने की बात कही। जिससे बेहतर तरीके से यात्रा का संचालन हो। उन्होंने कहा कि यात्रा का मार्ग उच्च हिमालयी क्षेत्र और संवेदनशील है। यात्रा में बेहतर भीड़ प्रबंधन, पर्यावरण की दृष्टि से आपदा प्रबंधन, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए एसओपी बनाई जाए। यात्रा मार्ग के साथ ही वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण और सुधार, आबादी वाले गांव में छोटी छोटी पार्किंग, पेयजल, शौचालय, इको टेंट कॉलोनी, गाड़- गदेरो का सौंदर्यीकरण, विद्युत आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्ग में बेहतर नेटवर्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग में अस्थाई और स्थाई कार्यों को चिन्हित करते हुए स्थाई संरचनाओं की एक माह के भीतर शासकीय स्वीकृति प्रदान कराते हुए कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए। आपदा विभाग को भू स्खलन वाले क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ ही आवश्यतानुसार मार्ग में पर्याप्त मात्रा में जेसीबी, पोकलैंड के साथ ही ऑपरेटर तैनात रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 2026 में भाद्र पक्ष की नंदाष्टमी से यात्रा शुरू होगी। लगभग 20 दिन की 280 किलोमीटर की यात्रा होती है जिसमें 20 किलोमीटर पैदल यात्रा है।

पेयजल शिकायतों का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाए: सीएम

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राज्य के हर गांव और शहर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना में तेजी लाने, न्यूनतम समय में ट्यूबवेल को रिप्लेस करने, फायर हाइड्रेट को सुचारू रखने, कैचमेंट एरिया में वनीकरण और चेक डैम बनाने, सारा के साथ समन्वय बनाकर स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संवर्धन की नीति तैयार करने, दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप का प्रयोग कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम श्री धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल अत्यधिक गर्मी की संभावना है।

इसके लिए समस्त डीएम पेयजल किल्लत वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्य योजना तैयार करे, कि किस प्रकार से उन क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों, पंचायतों और सोशल मीडिया के माध्यम से जल बचाने का संदेश फैलाया जाए। उनहोंने कहा कि गर्मियों में फॉरेस्ट फायर की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जंगलों से जाने पेयजल योजनाओं से वाल्व बनाए जाएं जिससे आग को तत्काल बुझाया जा सकें। सीएम श्री धामी ने पेयजल के टोल फ्री नंबर को हर हाल में चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही टोल फ्री नंबर में दर्ज शिकायतों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पानी का दुरुपयोग न हो इसके लिए सघन चौकिंग अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने पानी की लीकेजों को चिन्हित कर तत्काल मरम्मत तथा मरम्मत के लिए बफर सामाग्री एवं श्रमिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मोटर पम्प, विद्युत उपकरण एवं पाईप स्पेयरस, के खराब होने पर उन्हें तुरंत सही किया जाए एवं जल की शुद्धता का भीविशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेंकरों की निगरानी एवं प्रभावी व्यवस्था हेतु टेंकरों पर जी0पी0एस0 इनेबल सिस्टम की व्यवस्था हो एवं प्राइवेट टैंकरो हेतु पानी की दरें भी निर्धारित की जाएं।

विशेष शिविर का आयोजन 16 व 17 अप्रैल को

देहरादून, (वीअ)। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा ट्रॉसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का सरंक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 के अनुपालन में ट्रांस-मैन एवं ट्रॉस-वुमन इन्टरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, जिनको भारत सरकार के पोर्टल पर स्वयं आवेदन के पश्चात् जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, को आधार कार्ड में वर्ण संशोधन किये जाने हेतु 16 अप्रैल, 2025 एवं 17 अप्रैल, 2025 तक प्रात: 11 बजे से अपराहन् 02 बजे तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सर्वे चौक गर्ल्स आई0टी0आई0 परिसर देहरादून मे विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर मे आधार कार्ड मे वर्ण एवं नाम संशोधन हेतु जिला प्रशासन की ओर से ऑपरेटर द्वारा मौके पर आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जायेगा। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद देहरादून जिला मजिस्ट्रेट द्वारा में 26 ट्रांस-मैन एवं ट्रॉस-वुमन को प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उक्त शिविर में सम्मिलित होते हुये अपना आधार कार्ड में वर्ण परिवर्तन करा सकते हैं ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगें।

सुरक्षित यात्रा की तैयारी में जुटा परिवहन विभाग

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा रूटों पर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं के खतरे को टालने के लिए 13 या इससे अधिक यात्री क्षमता के व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे राज्यों के ऐसे वाहनों को 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा जबकि उत्तराखंड के वाहनों के लिए पूरी यात्रा अवधि के लिए यह कार्ड मान्य होगा। आज शुक्रवार से ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। अभी 15 वाहनों के आवेदन आ चुके हैं। ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

(प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। इसी उद्देश्य से ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। चालक को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। सभी प्रकार के कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों को विभाग के तकनीकी अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। चालक के पास वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र, परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।

दूसरे राज्यों के चालकों के लिए हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य:

चार धाम यात्रा पर आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए चालक को आनलाइन आवेदन कर टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म मिलने पर उसे संभागीय परिवहन अथवा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आवेदक की पर्वतीय रूट पर ड्राइविंग में दक्षता की परीक्षा होगी। जो परीक्षा में पास होगा, उनके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट कर दिया जाएगा।

दुर्घटना से बचाव के लिए कुछ अन्य मुख्य बिंदु

यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

चालक जूते या ट्रेकिंग शूज पहनकर ही वाहन चलाएं।

वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से हो।

वाहन के पृष्ठ भाग में त्रिकोणीय रेडियम बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। वाहन सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करें।

संक्षिप्त समाचार

कायदे-कानून को ताक पर रखकर बन रही बहुमंजिला इमारत के वीसी ने दिए जाँच के आदेश

देहरादून,(वीअ)। नैशविला रोड स्थित रिहायशी इलाक़े में एक बिल्डर द्वारा मानकों को ताक पर रखकर बनाई जा रही बुमंजिला रिहाइशी इमारत को लेकर क्षेत्रवासियो ने वीसी एनडीडीए से मुलाक़ात कर शिकायत दर्ज कराई, क्षेत्रवासियों का कहना है कि अति व्यस्त और तंग सड़क पर बिल्डर द्वारा इतनी बड़ी आठ मंजिला

रिहाइशी इमारत का निर्माण किया जा रहा है,जिससे आसपास के घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है,इसमें बिल्डर द्वारा एमडीडीए के नियमों का भी उल्लंघन किया गया है,क्षेत्रवासियो ने वीसी बंशीधर तिवारी से निर्माणधीन इमारत की जाँच करवाने की माँग की,जिस पर वीसी श्री तिवारी ने संबंधित सहायक अभियंता को जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

कासीगा स्कूल कर रहा कैंसर जागरूकता दौड़ की मेजबानी

देहरादून,(वीअ)। कासीगा स्कूल देहरादून 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे कैंसर जागरूकता रन का आयोजन करेगा, जिसके द्वारा छात्रों में वैश्विक स्तर की समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी के हस्तान्तरण का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाना और इसके चिकित्सीय शोध के लिए धन जुटाना है।

इस अभियान में सभी उम्र के लोग भाग लेकर, 2.5 किलोमीटर की आसान दूरी तय करके कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के प्रतिकार का संकल्प लेंगे द्य प्रतिभागियों को इस दौड को चलकर, दौड़कर या स्केटिंग कर पूरा करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस आयोजन में देहरादून और मसूरी के विभिन्न विद्यालयों ने भी अपनी प्रतिभागिता की सकारामक प्रतिक्रिया प्रेषित की है। कासीगा स्कूल द्वारा इस आयोजन का उद्देश्य एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है, जहां कैंसर नहीं होगा। इस आयोजन में शामिल होकर आप एक ऐसे अभियान का हिस्सा बन सकते हैं जो सर्वे सन्तु निरामया की कामना से प्रेरित है। आइए, हम साथ मिलकर इस बदलाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं।

भाकियू एकता शक्ति उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमंडल ने की महंत देवेंद्र दास महाराज से की भेंट

देहरादून,(वीअ)। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र दत्त शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल श्री दरबार साहिब गुरु राम राय महाराज देहरादून के गद्दी नशीन महंत देवेन्द्र

दास से मिला। श्री झंडा साहिब मेले की सफलता पर महाराज जी को शुभकामनाएं दी और सच्चे मोती की माला, हरा पटका, एवं महाराज जी का भव्य सुन्दर जड़ा हुआ चित्र भेंट किया। शर्मा के निवेदन पर महाराज जी ने भाकियू एकता शक्ति, उत्तराखंड का संरक्षक बनना भी स्वीकार कर लिया। श्री महाराज जी ने अपने संकल्प को दोहराते हुये कहा कि समाज को नई दिशा देने के साथ-साथ उत्तराखंड के सुदूर व पहाड़ी क्षेत्रों तक गुणवत्तापरक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने के लिये एसजीआरआर मिशन प्रतिबद्ध व कटिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत श्री महन्त इंद्रेश चिकित्सालय उत्तराखण्ड व निकटवर्ती राज्यों के गाँव तक स्वास्थ्य सेवायें पहुँचाने के लिये प्रतिबद्ध है। महाराज जी ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति ही सुन्दर कार्य कर रही है, इसके लिए सुरेंद्र शर्मा बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर महाराज जी ने भी भाकियू एकता शक्ति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा समेत पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार छाबड़ा और मुख्य पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार छाबड़ा, स.तरनजीत सिंह चड्ढा, राकेश बंसल, महासचिव सोनू, जान मौहम्मद, वरुण छाबड़ा, गौतम पंडित, हिमांशु कुमार, एन.के.गुप्ता, सूर्यप्रकाश भट्ट, संजय चौधरी, राजकुमार वर्मा, डा. सुमित सब्बरवाल, सुलेख सैनी, मुकीम रोशन, रवि फ्रान्सिस, दीपक अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

राज्य के सभी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा

देहरादून,(वीअ)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि बाल विकास विभाग जनपद देहरादून द्वारा प्रथम चरण में विकासखण्ड चकराता के दिव्यांगजनों का सर्वे कार्य निर्धारित प्रारूप पर किया जाना है। मुख्यमंत्री द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसम्बर को की गई घोषणा जिसमें राज्य के समस्त दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा। सर्वे ऐसे व्यक्तियों का भी चिन्हिकरण किया जाना है जो प्रथम दृष्टता मे दिव्यांग है एवं जिसका दिव्यांग प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बना ही नहीं है। डीएम ने निर्देश दिए कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्ड चकराता मे बाल विकास विभाग के अधीनस्थ तैनात ऑगनबाडी कार्यकर्ती/सहायिका द्वारा सर्वे कार्य हेतु प्रति सर्वे के आधार पर सर्वेकर्ता को न्यूनतम मानदेय का भुगतान जिला योजना के पेंशन शिविर मद से एकमुश्त पूर्ण सर्वे प्राप्त होने पर किया जायेगा। सर्वेकर्ता निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजन के एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड (यदि पूर्व से बना हो) की छायाप्रति स्वयं संलग्न करेगें। सर्वे प्रारूप पर सर्वेकर्ता द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विवरण अंकित तथा सर्वेकर्ता का पूरा नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर का अंकित किया जाना आवश्यक होगा। विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त सर्वे फार्म मूल मे ग्रामवार सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी, सर्वे चौक, देहरादून को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त करायेगें। प्राप्त सर्वे के अनुसार भारत सरकार का उपकम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि0 (एल्मिको) कानपुर से निर्धारित सहायक उपकरणों की दरों के सापेक्ष धनराशि की माँग कृत्रिम अंग का नाम सहित उपलब्ध करायेगें। जिन दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार नहीं बने हैं, के शिविर के माध्यम विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा। विकासखण्ड चकराता में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारी सर्वेकर्ताओं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये निर्धारित तिथि से पूर्व सर्वे कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना बेहद जरूरी

देहरादून,(वीअ)। अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में आने के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों के होटल एवं धर्मशालाओं के रिसेप्शन पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पिछली साल यानी साल 2024 की यात्रा के शुरुआती दिनों में व्यवस्था चरमा गई थी। जिससे राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी। लिहाजा, इस बार व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए राज्य सरकार और गढ़वाल के तमाम अधिकारी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में अगर धामों में भीड़ ज्यादा होती है तो भीड़ को नीचे ही रोका जाए। उस दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए भी काम किया जा रहा है।

तुलाज के संस्कृति फेस्ट में पापोन ने बिखेरा संगीत का जादू

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। तुलाज इंस्टीट्यूट के वार्षिक सांस्कृतिक फेस्ट 'संस्कृति 2025' का समापन प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक पापोन की ज़ोरदार प्रस्तुति से हुआ। अपनी अनोखी आवाज़ और भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए पहचाने जाने वाले पापोन ने 'आशियाना मेरा', 'मोह मोह के धागे', 'मुझे कैसे पता न चला', 'एक अजनबी हसीना से' और 'पहला नशा' जैसे पसंदीदा गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने नई बॉलीवुड धुनों को पुरानी यादों से जोड़ते हुए एक अद्भुत माहौल बना दिया। अपनी प्रस्तुति के दौरान, उत्तराखंड और यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए पापोन ने प्रसिद्ध पहाड़ी लोकगीत 'बेडू पाको बारामासा' भी गाया। गीत की पहली धुन सुनते ही पूरा परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा। छात्रों ने एक साथ झूमते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों का जश्न गर्व और उमंग के साथ मनाया।छात्रों से बातचीत के दौरान पापोन ने उत्तराखंड के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए कहा, ठद्धद्वह्लद्धद्बदृह मेरे लिए दूसरे घर की तरह है, और आसाम के बाद मैं सबसे ज़्यादा वक्त उत्तराखंड में बिताता हूँ। मेरी पत्नी देहरादून से हैं और हमारा एक घर मुक्तेश्वर में है। यहां जो प्यार और ऊर्जा मिलती है, वो कहीं और ट्टद्धदृद्रठ उनकी सादगी और आत्मीयता ने कार्यक्रम को और

भी खास बना दिया। तुलाज़ ग्रुप के चेयरमैन सुनील कुमार जैन ने कहा, ठद्धदृद्धय्ॐद्धह्व के मंच पर पापोन का आना हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी आवाज़, उनकी ऊर्जा और उन्होंने जो सांस्कृतिक जुड़ाव मंच पर दिखाया, वो हमारे छात्रों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन श्द्धद्रठ कार्यक्रम के दौरान छात्रों की अकादमिक और सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उपलब्धियों को भी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर तुलाज़ ग्रुप के चेयरमैन सुनील कुमार जैन, सेक्रटरी संगीता जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिल्की जैन मारवाह, वाइस चेयरमैन रौनक जैन, वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी डॉ. राघव गर्ग, तथा तुलाज़ इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर डॉ. शैलेन्द्र कुमार तिवारी सहित तुलाज़ इंस्टिट्यूट और तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अवैध मदरसों की जांच, सील करने के सम्बन्ध में मदरसा बोर्ड के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्तर के अरबी-फारसी मदरसों को नियमावली 2019 के अन्तर्गत मान्यता देता हैं सरकारी मदरसा बोर्डकाशीपुर। अवैध मदरसों की जांच, सील करने, सम्बन्धित नियम प्रावधानों के सम्बन्ध में उत्तराखंड सरकार के मदरसों को मान्यता देने वाले उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड में 7 जिलों में कुल 452 वैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ। सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी से अवैध मदरसों की जांच तथा वैध मदरसों की संख्या के सम्बन्ध में सूचनायें चाही थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के लोक सूचना अधिकारी/ उप रजिस्ट्रार मोहम्मद ओबैदुल्लाह अंसारी ने अपने पत्रांक 01 व 02 से उत्तर व सूचनायें उपलब्ध करायी है।श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून में अवैध मदरसों की जांच/मदरसों की संख्या/सूचना से संबंधित कोई भी अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।श्री नदीम को मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तराखंड में वैध व मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या के विवरण के अनुसार उत्तराखंड में कुल 452 मदरसे मान्यता प्राप्त तथा वैध हैं। इसमें सर्वाधिक 270 वैध मदरसे हरिद्वार जिले में, दूसरे स्थान में 119 वैध मदरसे जिला उधमसिंह नगर में तथा तीसरे स्थान पर 41 मदरसे देहरादून जिले में, चौथे स्थान पर 18 मदरसे नैनीताल जिले में, पांचवें स्थान पर 2 मदरसे चम्पावत जिले में तथा छठे स्थान पर 1-1 मदरसा अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिले में चल रहे हैं। कुल 452 मदरसों में 233 मदरसे तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक स्तर) तथा 165 मदरसे फोकानिया (कक्षा 6 से 8 तक), 46 मदरसे मुंशी/मौलवी (कक्षा 09 व 10 स्तर) तथा 8 मदरसे आलिम अरबी फारसी (कक्षा 11 से 12 तक) शामिल है।

मोहम्मद परवेज आलम ने उत्तराखंड के महालेखाकार का कार्यभार संभाला

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। मोहम्मद परवेज आलम ने देहरादून में महालेखाकार (एकाउंट्स एवं एंटाइटलमेंट) उत्तराखंड के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री आलम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के 2008 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें अगले आदेश तक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस कार्यभार से पहले श्री आलम बिहार, झारखंड और मणिपुर में उप महालेखाकार/वरिष्ठ

उप महालेखाकार समेत प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें भारतीय वायु सेना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार आदि समेत विभिन्न क्षेत्रों में लेखापरीक्षा का व्यापक अनुभव है। उत्तराखंड में अपनी नियुक्ति से पहले वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (उत्तर पूर्वी क्षेत्र-प्) के पद पर कार्यरत थे। श्री आलम के पास सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखा और लेखा परीक्षा का समृद्ध अनुभव है। उनके अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यों में बांग्लादेश और बहरीन में दूतावास लेखा परीक्षा, हनोई और जकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वित्तीय और अनुपालन लेखा परीक्षा, और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के अनुपालन लेखा परीक्षा शामिल हैं।

ICICI Home Finance कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लि., आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई–400059 इंडिया

शाखा कार्यालयः तीसरा तल, शॉप नं. 21/42, राजपुर रोड–2, नजदीक क्रॉस रोड माल, देहरादून यूके–248001

(देखें नियम 8(6) के प्रावधान)

अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार ''जैसा है जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों/विधिक उत्तराधिकारियों का नाम लोन खाता सं.	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो, के साथ विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर जमा राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व	सरफेसी स्टेज
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1	कवलजीत सिंह (कर्जदार), अनीता तंवर (सह–कर्जदार) लोन खाता सं. एलएचसीटीडी00001510949 एवं एलएचसीटीडी00001510953	खसरा नं. 886/1, खाता नं. 621, मौजा सेन्ट्रल होप टाउन, परगना पछवा दून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड– 248001	रु. 54,51,720/– 07 अप्रैल, 2025	रु. 54,91,260/– रु. 5,49,126/–	May 09, 2025 11:00 AM 03:00 PM	May 16, 2025 02:00 PM 03:00 PM	May 15, 2025 before 05:00 PM	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी ऑक्शन एजेंसी मेटेक्स नेट प्रा. लि. की वेबसाइट (यूआरएल लिंक https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा 15 मई 2025 को सायं 5.00 बजे तक कुल बकाया के साथ ब्याज का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है और ऐसा नहीं करने पर प्रतिभूत परिसंपत्तियों को उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार बेच दिया जाएगा। भावी बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय में आरटीजीएस/डिमांड ड्राट(डीडी) (कॉलम ई देखें) में वर्णित धरोहर राशि 15 मई, 2025 को सायं 4.00 बजे तक जमा करनी होगी। भावी बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय में पंजीकरण पत्र एवे बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित कॉपी 15 मई, 2025 को सायं 5.00 बजे तक जमा करनी होगी। धरोहर जमा राशि का डिमांड ड्राट (डीडी) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड–ऑक्शन के पक्ष में राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक से होना चाहिए जो उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम व शर्तें या बोली जमा करने के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएं किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया https://www.icicihfc.com को देखें।

तिथिः 12 अप्रैल, 2025
स्थानः देहरादून

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
CIN : U65922MH1999PLC120106

वीर अर्जुन

राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश की खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

ब्यू. प्रमुख: वीरेंद्र पाण्डेय

फोन नंबर: 9415106202, 0522-4043088

फैक्स:522-4043088

Email : virarjunlko@gmail.com